जिनमें मुख्यतया ऐसे निर्यात माल के लिए अपेक्षित शुल्क मुक्त आयातों को अधिक हकदारी के दावे के इरादे से निर्यात के बीजक की राशि को अधिक दर्शाया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के दुरूपयोग को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं, (1) केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों पर आधारित मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के प्रचालन को दुरूस्त करना (2) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में निर्यात दायित्व को अनिवार्य बनाना, (3) संवेदनशील सूची में आयात की मदों की संख्या बढ़ाना जोकि मूल्य आधारित लाइसेंसों के तहत मात्रा या मात्रा और मूल्य प्रतिबंधों के अधीन होती है, (4) रेशम जैसे कुछ क्षेत्रों में स्कीम को लागू न करना, (5) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम की विशिष्ट श्रेणियों के प्रचालन पर रोक लगाना (6) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन निर्यात के अधिक मूल्यांकन के नियंत्रण के लिए 6-3-1995 को व्यापक अनुदेश जारी करना और (7) इस योजना के अधीन निर्यात करने से पहले मोडवेट के अनिराकरण की समस्या से निपटना, इसमें बाद में समायोजन के अधीन निर्यातकों को 1-4-1995 से आयात करते समय अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भी निर्णय किया गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी ताकि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन निर्यात के मूल्य बीजक में अधिक दिखाने/गलत घोषित करने के पिछले मामलों का पता लगाया जा सके, जहां आयात हकदारी को कम करने या जुर्माना करने की व्यवस्था है।

(घ) महानिदेशक, विदेश व्यापार मुख्यालय द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों के अधीन जुर्माना करने के लिए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के 65 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 361 मामलों में कार्रवाई पूरी कर ली है और 101 करोड़ रु० जिसे बचाने की कोशिश की गई थी, को वसूल कर लिया गया है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा 32.88 करोड़ रु० अधिक की राशि के शुल्क वापसी के दावों को नामंजूर कर दिया गया है। 8.69 करोड़ रु० का जुर्माना लगाया गया है। निर्यातकों, क्लीयरिंग एजेंटों और निर्यात करने वाली फर्मों से संबंधित 59 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 14 व्यक्तियों को कोफेपोसा के अधीन हिरासत में रखा गया था। अन्य छह अधिकारियों को निलम्बित करने के अलावा दो सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार भी किया गया।

Number of Purchase Points of FCI in Andhra Pradesh

2400. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the total number of purchase points of FCI in Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) whether there is a proposal to reduce this number in 1996-97; and

(c) if so, the reasons therefor;

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (A) The number of purchase centres operated by FCI in Andhra Pradesh in 1995-96 is as under:—

1995-96	No. of rice procurement centres	No. of paddy procurement centres
RABI (April, 95 to Sept., 95)	157	180
KHARIF (Oct., 95 to March 96)	149	121

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Non-payment of coal bills to CIL by the State Electricity Boards

2401. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Coal India